एफडीआई सीमा को बढ़ाने के पक्ष में वित्त मंत्रालय

भारत को निवेश गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने एफडीआई नियमों में अहम बदलावों का प्रस्ताव किया है जिसके तहत रक्षा, मल्टी-ब्रांड खुदरा व्यापार और दूरसंचार सहित लगभग सभी क्षेत्रों में उच्चतम निवेश सीमा का समर्थन किया गया है।

आर्थिक मामलों के सचिव श्री अरविंद मायाराम की अध्यक्षता वाली समिति ने स्वतः माध्यम द्वारा लगभग सभी क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमा को 49 प्रतिशत तक बढ़ाने की संस्तुति की है। समिति ने सरकार द्वारा अनुमोदित माध्यम के जरिए रक्षा क्षेत्र में एफडीआई को 26 से बढ़ाकर 49 प्रतिशत तक करने का सुझाव दिया। इसके अलावा मल्टी-ब्रांड खुदरा व्यापार में एफडीआई सीमा को 74 फीसदी तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

इस समिति ने रक्षा, दूरसंचार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा, पेट्रोलियम रिफाइनिंग और सिंगल तथा मल्टी-ब्रांड खुदरा व्यापार जैसे अन्क क्षेत्रों में मौजूदा उच्चतम सीमा को आसान बनाने की संस्तुति की।

आर्थिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में एफडीआई सीमा की समीक्षा और इसे बढ़ाने की पहल के पीछे विदेशी निवेशकों के लिए नियमों को सरल बनाना है ताकि दीर्घावधि में अधिक मात्रा में पूंजी प्रवाह के साथ-साथ मौजूदा खाता घाटे को कम करने में भी सरकार को मदद मिल सके।

TAKING BOLD STEPS

Sector	FDI Cap (%)	Proposed (%)
Telecom	74	100
Multi-Brand Retail	51	74
Insurance	26	74
Pension	Nil	74
Defence Prodn	26	49

रक्षा

सामान्य तौर पर समिति ने एफडीआई की सीमा को 49 प्रतिशत तक बढ़ाकर रक्षा और बीमा जैसे लगभग सभी क्षेत्रों में 26 प्रतिशत तक की निवेश सीमा को हटाने की संस्तुति की है। उदाहरण के लिए अनुमोदित माध्यम द्वारा रक्षा क्षेत्र में निवेश की अधिकतम सीमा को 49 प्रतिशत तक करने का सुझाव है।

इसी प्रकार मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार के क्षेत्र में जहां एफआईपीबी (विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड) के माध्यम से पहले ही 51 प्रतिशत तक की सीमा है वहां मायाराम पैनल ने

इसे बढ़ाकर 74 प्रतिशत तक करने की संस्तुति की है ताकि यह क्षेत्र विदेशी निवेशकों को और अधिक आकर्षित कर सके।

सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार जहां कि अनुमोदित माध्यम के तहत पहले से ही 100 प्रतिशत एफडीआई मौजूद है वहां स्वतः माध्यम के तहत 49 प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी देकर नियमों को और आसान बनाने का सुझाव दिया गया है। औषधि क्षेत्र के लिए भी ऐसा ही सुझाव है। इसमें भी स्वतः माध्यम के तहत 49 प्रतिशत निवेश का सुझाव है जबकि सरकार द्वारा अनुमोदित माध्यम के तहत इसमें 100 प्रतिशत एफडीआई पहले से ही मौजूद है।

<u>दूरसंचार</u>

दूरसंचार क्षेत्र में समिति एक कदम और आगे बढ़ी है। इसने सुझाव दिया है कि स्वतः अनुमोदित माध्यम के तहत 49 प्रतिशत एफडीआई सुविधा को बरकरार रखते हुए एफआईपीबी माध्यम के तहत मौजूदा 74 प्रतिशत की सीमा को 100 प्रतिशत तक किया जाना चाहिए।

मायाराम पैनल ने बीमा क्षेत्र में बीमा नियामक विकास प्राधिकरण (इरडा) के नियमों के तहत बीमा क्षेत्र में एफडीआईसीमा को 26 प्रतिशत 49 प्रतिशत तक बढ़ाने की संस्तुति की है। हालांकि इसके लिए संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता होगी क्योंकि इस संबंध में विधेयक अनुमोदन के लिए पहले ही लंबित है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए समिति ने एफडीआई सीमा को स्वतः माध्यमों के तहत 49 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की है। वर्तमान में एफआईपीबी की अनुमति के तहत यह सीमा 20 प्रतिशत तक है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है इस प्रकार के निवेश रिजर्व बैंक की सहमति से होने चाहिए और सरकार द्वरा 'नियंत्रण' की नई परिभाषा तय की जानी चाहिए।

संयंत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में समिति ने जहां एफआईपीबी माध्यम के तहत 100 प्रतिशत की तुलना में स्वतः माध्यम के तहत 49 प्रतिशत तक के एफडीआई निवेश का प्रस्ताव किया है वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा पेट्रोलियम रिफाइनिंग के मामले में स्वतः माध्यम के तहत 49 प्रतिशत तक के विदेशी निवेश को अनुमति देने का प्रस्ताव है वर्तमान में विदेशी निवेशकों को 49 प्रतिशत तक के निवेशक के लिए एफआईपीबी की मंजूरी प्राप्त करनी होती है।

<u>प्रिंट मीडिया</u>

मायाराम पैनल ने प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में अनुमोदित माध्यम के तहत 26 प्रतिशत की तुलना में स्वतः माध्यम के तहत 49 प्रतिशत तक की एफडीआई सीमा का सुझाव दिया है। इसी प्रकार वस्तु और विद्युत एक्सचेंजों में एफआईपीबी माध्यम के मुकाबले स्वतः माध्यम के जरिए 49 प्रतिशत तक के निवेश को अनुमति देने का सुझाव है।

परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) में अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए समिति ने एफआईपीबी माध्यम के जरिए एफडीआई सीमा को 100 प्रतिशत तक और स्वतः माध्यम के जरिए 49 प्रतिशत तक करने का सुझाव दिया है। वर्तमान में एफआईपीबी माध्यम के तहत 74 प्रतिशत तक की निवेश सीमा है।

स्टॉक एक्सचेंजों, आगारों और निकासी निगमों के लिए सेबी नियमों के तहत एफआईपीबी के मुकाबले स्वतः माध्यम से 49 प्रतिशत तक की सीमा का सुझाव है। नागर विमानन क्षेत्र के लिए समिति ने गैर अधिसूचित हवाई परिवहन सेवाओं के लिए 49 प्रतिशत के बजाए स्वतः माध्यम द्वारा 100 प्रतिशत तक की एफडीआई का सुझाव दिया है।

समिति की रिपोर्ट और संस्तुतियों को मंत्रालयों और विभागों से सुझाव प्राप्त करने के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद जुलाई के पहले सप्ताह में मंत्री इस संदर्भ में विचार-विमर्श करेंगे।

(एजेंसी द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर
रोजगार समाचार के संपादक मंडल द्वारा संकलित)